न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 17/2018 (75 एलआरए) भंवरलाल वगै. बनाम राजस्थान राज्य

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00099)

भंवरलाल पुत्र श्री उमाराम जाति कुम्हार,
श्रीमती शिम्भूदेवी पत्नी श्री भंवरलाल जाति कुम्हार दोनों निवासी ग्राम बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बालेसर।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर
दिनांक 31.01.2018 अंतर्गत आदेश क्रमांक : राजस्व/2018/87

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनाराण राजपुरोहित।
2 रेस्पोडेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 24.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश क्रमांक : राजस्व/2018/87 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के साथ अपील अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र एवं अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किए गए।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोकमगढ़ में खसरा नं. 937/2 रकबा 2 बीघा अपीलांट भंवरलाल की खातेदारी का है एवं खसरा नं. 937 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट शिंभुदेवी की खातेदारी का है। अपीलांट भंवरलाल ने अपनी खातेदारी की भूमि में से 970.76 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक रूपांतरण करवाया जिसका पट्टा विलेख उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ ने भंवरलाल के नाम से दिनांक 12.12.2013 को जारी किया। व्यवसायिक भूमि के कुछ भाग में अपीलांट भंवरलाल ने पक्की दुकानें बनवाईं। दिनांक 09.06.2017 को तहसीलदार बालेसर मौके पर आए तथा अपीलांट को कहा कि उनके खातेदारी में से रास्ता निकालना है अपीलांट ने आदेश की मांग की तो ऐसा कोई आदेश अपीलांट को उपलब्ध

24/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं करवाया तथा 300 पेड़ों की टहनियों को काटते हुए पूर्व में रास्ता नहीं होने के बावजूद भी तहसीलदार ने गलत एवं गैर कानूनी तरीके से मौके पर रास्ता खुलवाया। तहसीलदार को पूछा तो तहसीलदार ने कहा कि उन्होंने रास्ता उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 06.06.2017 की पालना में खुलवाया है जिस पर अपीलांट ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी में प्रस्तुत की जो अपील राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 10.01.2018 को यह कहते हुए खारिज कर दी कि धारा 251 के तहत आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा दिया गया है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी में नहीं होती है, जिस पर अपीलांट ने अतिरिक्त कलक्टर में अपील प्रस्तुत की। उपरोक्त अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया है। अभी हाल ही में अपीलांट को ज्ञात हुआ कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से अपीलांट को बिना सुने एवं बिना कोई नोटिस दिए एवं बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिए खसरा नं. 937 की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि में रास्ता निकालने बाबत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद व अपील अनुमतिदर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनाराण राजपुरोहित ने अपील अनुमति के प्रार्थना पत्र, धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2018 के विरुद्ध अपील पेश की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था परंतु अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से रास्ता निकाला गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट व्यथित है। इसलिए यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2018 की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.04.2018 को पटवारी हल्का द्वारा कहने पर हुई, उससे पहले अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का ने दिनांक 13.04.2018 को अपीलांट को बताया कि उसकी खातेदारी की भूमि में रास्ता निकालने के बाबत एवं रास्ते की तरमीम करने बाबत आदेश हुआ है जिस पर अपीलांट ने जानकारी की व दिनांक 17.04.2018 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया व नकल प्राप्त की। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 937 व 937/2 में से बाले–बाले अपीलांट को बिना कोई नोटिस एवं

राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

सुनवाई का अवसर दिए रास्ता कायम करने एवं रास्ते की तरमीम करने तथा अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से रास्ते के प्रयोजनार्थ कम करने का आदेश दिया गया है। इसलिए यह अपील जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

अपील की मैरिट पर बहस करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत, गैर कानूनी एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। खसरा नं. 937 की 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट शिंभूदेवी के खातेदारी की है तथा खसरा नं. 937/2 रकबा 2 बीघा अपीलांट भंवरलाल की खातेदारी की है। जिसका व्यवसायिक रूपांतरण करवाया जा चुका है। यह रास्ता उपरोक्त दोनों खसरों की भूमि में से निकाला गया है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से रास्ता निकालने का एवं कायम करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो कोई नोटिस दिया एवं न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। किसी की खातेदारी की भूमि में से उसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं निकाला जा सकता। अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से पहले से किसी तरह का रास्ता नहीं था तहसीलदार ने दिनांक 07.06.2017 को अपीलांट की भूमि में से पेड़ों को काटते हुए एवं हटाते हुए नया रास्ता कायम किया। जिस कार्यवाही को अपील के जरिए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश से निरस्त करा दिया गया है एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा किसी की खातेदारी की भूमि को कम करने एवं उसे रास्ते में दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था। राज्य सरकार का कोई परिपत्र टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों एवं अपीलांट के मूलभूत अधिकारों के विपरीत नहीं हो सकता। यदि किसी की खातेदारी की भूमि में से सड़क या रास्ता निकालना है तो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी आवश्यक होती है एवं नियमानुसार अवाप्ति की कार्यवाही करने के बाद ही रास्ता निकालने की कार्यवाही की जा सकती है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म संख्या–3 के साथ नामांतरकरण संख्या 241 की प्रमाणित प्रति एवं फोटो कॉपी आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर दिनांक 24.05.2018 पेश किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है तदुनसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि रास्ते से संबंधित समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के तहत तहसीलदार बालेसर से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने

24/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व ग्राम मोकमगढ़ एवं धीरपुरा में चल रहे कदीमी रास्ते का राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 12(3) राज–1/2016 दिनांक 24.08.2016 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58 के तहत प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.01.2018 को तहसीलदार बालेसर प्रस्ताव व प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 अनुसरण में तहसीलदार बालेसर के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपील मियाद बाहर भी है तथा अपीलांट को रास्ते से कोई नुकसान नहीं हैं बल्कि रास्ते से सभी को फायदा मिलेगा। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2018 के द्वारा उसके खातेदारी की भूमि में रास्ता अंकन करने का आदेश दिया गया है। रेस्पो. ने भी इस तथ्य को इन्कार नहीं किया है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 13.04.2018 को होना बताया है। रेस्पोडेंट ने इस त्थ्य का खण्डन नहीं किया है अतः न्यायहित में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश के द्वारा राजस्व ग्राम मोकमगढ़ एवं धीरपुरा में चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। इस प्रकरण में अपीलांट के खसरे में से रास्ता पूर्व से चालू होना प्रमाणित नहीं हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के यहां इस प्रकरण की धारा 251 की अपील करने पर अपील सं. 26/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 के अनुसार तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 07.06.2017 को धारा 251 के तहत सुखाचार के रास्ता खुलवाने की कार्यवाही को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र के दिनांक 10.08.2016 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/ निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू परंतु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हों तो ऐसा रास्ता निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परंतु नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नंबर दिया जावेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी। इस प्रकरण में अपीलांट की निजी खातेदारी में स्थाई सार्वजनिक रास्ता चालू होना प्रमाणित नहीं हैं जैसा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के यहां इस प्रकरण की

24/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 251 की अपील करने पर अपील सं. 26/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 के अनुसार तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 07.06.2017 को धारा 251 के तहत सुखाचार के रास्ता खुलवाने की कार्यवाही को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर देने से स्पष्ट होता है। इसके अलावा इस प्रकरण में अपीलांट के पड़ोसी खातेदार व अन्य अधिकांश खातेदारों से रास्ते के लिए भूमि सरेंडर करवाई गई है जिससे भी इस तथ्य की पुष्ठि होती है कि रास्ता सार्वजनिक व स्थाई रूप से चालू नहीं हैं बल्कि नया रास्ता कायम करने का प्रकरण प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिए व बिना सहमति के अथवा बिना भूमि सरेंडर कराए रास्ते का अंकन किया जाना राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व अभियान की भावना के विपरीत पाया जाता है। अतः अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खसरों की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य पाया जाता है।

8 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2018 अपीलांट के मूल खसरा नंबर 937 तथा नवीन खसरा नं. 937/1 व 937/2 की सीमा तक निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के उक्त खसरा नंबरान के संदर्भ में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

24/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर